दि0 16.02.2016 को मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी की अध्यक्षता में ओफाज अंतगर्त कार्यरत कार्यकारी संस्थाओं की बैठक की कार्यवाही ।

दि0 16.02.2016 को अपराह्न 04:00 बजे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज की अध्यक्षता में कार्यरत कार्यकारी संस्थाओं की बैठक कार्यालय सभागार मे सम्पन्न हुई । (उपस्थित प्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों कि उपस्थिति संचिका में संधारित है।)

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, ओफाज द्वारा बैठक की कार्यावली पर विस्तृत चर्चा की गई एवं समीक्षोपरान्त निम्न तथ्य उभर कर आए -

1. प्रथम वर्ष में आंवटित कार्य की द्वितीय किस्त हेतु Spot Verification प्रतिवेदन निम्न कार्यकारी संस्थाओ से अप्राप्त है।
   - 1.1. विवेकानन्नद सेवा संस्थान, गुमला एवं जामताड़ा।
   - 1.2. नवकिरण जामताड़ा।
   - 1.3. वेजिटेबल ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाईटी, सिमडेगा।
   - 1.4. लोक प्रेरणा, दुमका।

   कार्यवाही -
   - कार्यकारी संस्था विवेकानन्द सेवा संस्थान एवं नवकिरण, को सात दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने निदेश दिया गया।
   - कार्यकारी संस्था वेजिटेबल ग्रोवर कोऑपरेटिव सोसाईटी के द्वारा संज्ञान में लाया गया कि जिला उद्यान पदाधिकारी, सिमडेगा के कार्यालय में प्रतिवेदन समर्पित किया जा चुका है। परन्तु प्रतिवेदन उनके द्वारा अनुशंसा कर प्राधिकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में जिला उद्यान पदाधिकारी, सिमडेगा को पत्र लिखकर तीन दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया। प्रतिवेदन समर्पित किये जाने तक जिला उद्यान पदाधिकारी का वेतन बाधित रहेगा। आदेश की प्रति जिला कोषागार पदाधिकारी, सिमडेगा एवं उपायुक्त सिमडेगा को प्रेषित करने का निदेश दिया गया।
   - जिला उद्यान पदधिकारी, पाकुड़ को जिला साहेबगंज एवं अनुमंडल उद्यान पदाधिकारी दुमका का दुमका के ओफाज अन्तर्गत किये गये कार्यो के सत्यापन करने के लिए पत्र निर्गत करने का आदेश दिया गया।

2. कार्यकारी संस्था मधुर मुस्कान के द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन अभी तक प्राधिकार कार्यालय को आप्रप्त है।

   कार्यवाही -
   - मधुर मुस्कान संस्था की सचिव के द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन सात दिनों के अन्दर समर्पित करने का आश्वासन दिया गया।

3. ICICI Card के माध्यम से उपादान के क्रय हेतु विमुक्त राशि का प्रतिवेदन जिला राँची में कार्यरत कार्यकारी संस्थाओं को द्वारा अभी तक प्राधिकार कार्यालय को अप्राप्त है।

कार्यवाही –

- कार्यकारी संस्थाओं द्वारा दो दिनों के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित करने का आश्वासन दिया गया।
- पर्वतीय दुर्गम शिक्षा विकास के अनुदान कार्ड के संबध में प्रबंधक, प्रमाणीकरण को निस्तारित करने का निदेश दिया गया।
- परिवेश सोसाईटी एवं आदर्श बाल विकास संस्थान के द्वारा एक सप्ताह के अन्दर उपादान वितरण का प्रतिवेदन समर्पित करने के लिए निदेशित किया गया।

4. राज्य मसाला मिशन के अन्तर्गत कार्यान्वित जिलो में जैविक खेती हेतु निबंधित किसानों को निम्न अवयव दिये जाने जाना है –

		Irrigation Facility		Drying cum Preservation		Pack House		HDPE Vermibed	
क्रं0	जिला	भौतिक लक्ष्य*	वित्तीय लक्ष्य*	भौतिक लक्ष्य*	वित्तीय लक्ष्य*	भौतिक लक्ष्य*	वित्तीय लक्ष्य*	भौतिक लक्ष्य*	वित्तीय लक्ष्य*
1	राँची	3	4.50	8	8.00	2	4.00	96	7.68
2	खूँटी	3	4.50	6	6.00	1	2.00	60	4.80
3	लोहरदगा	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
4	गुमला	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
5	प0 सिंहभूम	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
6	पू0 सिंहभूम	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
7	सरायकेला	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
8	दुमका	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
9	सिमडेगा	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
10	लातेहार	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
11	जामताड़ा	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
12	पाकुड़	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
13	साहेबगंज	2	3.00	6	6.00	1	2.00	55	4.40
	कुल योग	28	42.00	80	80.00	14	28.00	761	60.88

*भौतिक लक्ष्य इकाई में एवं वित्तीय लक्ष्य लाख में।

उपरोक्त अवयवों हेतु राशि दो समान किस्तों में लाभुकों के खाते में हस्तांतरित की जायेगी। संबधित कार्यकारी संस्थाओं द्वारा उक्त अवयव हेतु प्रगतिशील जैविक कृषि अपनाने वाले लाभुक का चयन कर जिला उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ निम्न प्रपत्रों के साथ आवेदन तीन दिनों के अन्दर विहित प्रपत्रों में समर्पित करने का निदेश दिया गया। (अनुलग्नक-1)

उक्त प्रतिवेदन प्राधिकार कार्यालय में प्राप्त होने के पश्चात तीन दिनों के अन्दर अवयव हेतु देय राशि की प्रथम किस्त लाभुक के खाते में हस्तांतरित कर दी जायेगी। द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु

जिला स्तरीय निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन, लाभुक की निर्माण कार्य के साथ फोटो तथा वीडियोग्राफी एवं जिला उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ प्राधिकार कार्यालय को समर्पित करने के पश्चात शेष राशि विमुक्त की जायेगी।

कार्यवाही –

- उक्त अवयवों का कार्यन्वयन पहले आओं पहले पाओ के आधार पर तीन दिनों के अन्दर कार्यकारी संस्थाओं के द्वारा देय आवेदन के आधार पर किये जाने हेतु निदेशित किया गया।
- Drying cum Preservation Unit, Pack House एवं HDPE Vermibed के लिए तकनिकि प्राक्कलन की प्रति प्राधिकार की वेबसाइट (www.organicjharkhand.in) पर उपलब्ध कराने हेतु निदेश दिया गया, साथ ही कार्यवाही के साथ प्रेषित भी की जा रही है।
- अवयव हेतु लाभुक के आवदेन का प्रारूप कार्यवाही के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (अनुलग्नक-1)
- सिंचाई स्त्रोत हेतु संबधित जिले के लघु सिंचाई विभाग या पेयजल स्वच्छता विभाग के सक्षम अभियंता द्वारा निर्गत तकनिकि प्राक्कलन प्राप्त कर उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

5. कार्यकारी संस्थाओं को एक सप्ताह के अन्दर निम्न कार्य पूर्ण कर प्राधिकार को प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

a) कार्यकारी संस्थाओं के द्वारा तृतीय वर्ष हेतु पूर्व में निबंधित लाभुकों की सूची प्रमाणीकरण संस्था के AFL के प्रारुप में।

b) उक्त AFL के प्रारुप में लाभुक की जाति का विवरण का एक कॉलम जोड़ने हेतु निदेशित किया गया।

c) कार्यकारी संस्था द्वारा तृतीय वर्ष हेतु आंतरित निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी प्रमाणीकरण संस्था को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया।

d) उक्त दोनों प्रतिवेदन की प्रति एवं मिशनवार अलग अलग Tracenet Code अंकित की हुई राज्य जैविक मिशन, मसाला मिशन एवं औषधीय मिशन के लाभुकों की सूची प्राधिकार कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

e) ICICI Card के माध्यम से Card Based Management System द्वारा उपादान अनुदान के वितरण के पश्चात वितरण प्रतिवेदन प्राधिकार कार्यालय को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

6. प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष हेतु उपादान अनुदान के कय के लिए देय राशि रू0 2000 प्रति हे0 की विमुक्ति ICICI Card के माध्यम से Card Based Management System द्वारा की जायेगी। उपादान अनुदान हेतु उपादान के वितरण के समय संबधित जिला उद्यान पदाधिकारी या उसके द्वारा

नामित प्रतिनिधी, जिला स्तरीय तकनिकि विशेषज्ञ की उपस्थिति में कराया जायेगा। मुख्यालय स्तर पर उपादान वितरण की तिथि एवं समय के संबध में प्राधिकार कार्यालय को सूचित करने का निदेश दिया गया।

उपादान हेतु निम्न प्रारुप में प्रतिवेदन प्राधिकार कार्यालय को संबधित जिला उद्यान पदाधिकारी की अनुशंसा के साथ उपलब्ध कराया जाना है।

क0	नाम	पता	Trace net Code	निबंधित क्षेत्रफल हे0 में	देय राशि	प्राप्त उपदान	हस्ताक्षर	मोबाइल नंम्बर

प्रतिवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर ग्राम पंचायत के मुखिया या वार्ड सदस्य, जिला स्तरिय तकनिकि विशेषज्ञ एवं उपादान आपूर्तिकर्ता संस्थान के व्यक्ति का नाम अनुसंशा सहित हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

संबधित जिले में कार्यरत कार्यकारी संस्था 15 दिनों के अन्दर उसके अन्तर्गत निबंधित किसानों को उपादान आपूर्तिकर्ता संस्थाओं के माध्यम से उपादान का वितरण कराना सुनिश्चित करते हुए फोटोग्राफी एवं वीडियोग्राफी प्राधिकार कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कार्यकारी संस्थाओं को तृतीय वर्ष की अनुश्रवण की राशि विमुक्त की जायेगी।

7. प्रशिक्षण कार्य हेतु प्राधिकार के शासी निकाय में लिए गये निर्णय के आलोक में रामकृष्ण मिशन, विकास भारती, Indian Institute of Horticulture Technologies, Greater Noida एवं आवश्यकतानुसार कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम से निम्न भौतिक लक्ष्य के अनुरूप कराया जा रहा है।

क0	जिला	लाभुक	क0	जिला	लाभुक
1	राँची	960	8	दुमका	550
2	खूँटी	600	9	सिमडेगा	550
3	लोहरदगा	550	10	लतेहार	550
4	गुमला	550	11	जामताड़ा	550
5	प0 सिंहभूम	550	12	पाकुड़	550
6	पू0 सिंहभूम	550	13	साहेबगंज	550
7	सरायकेला	550			

उक्त के भौतिक लक्ष्य के आलोक में विकास भारती संस्थान के द्वारा गुमला एंव परिवेश सोसाईटी के द्वारा राँची जिले में प्रशिक्षण का कार्य कराया जा रहा है। रामकृष्ण मिशन के द्वारा 400 लाभुकों को प्रशिक्षण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है। संबन्धित कार्यकारी संस्थाओं को निदेशित किया जाता है कि प्रशिक्षण हेतु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं को जैविक कृषि में निबंधित लाभुकों की सूची एवं प्रशिक्षण हेतु स्थान उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें साथ ही प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम में संबधित कार्यकारी संस्था के पदाधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित करें।

प्रशिक्षण कार्य में कार्यकारी संस्थाओं के सहयोग सुनिश्चित होने के पश्चात ही तृतीय वर्ष की अनुश्रवण राशि विमुक्त की जायेगी।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

16/02/16

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी

झारखण्ड जैविक कृषि प्राधिकार (ओफाज)

लाभुकों को देय अवयव हेतु आवदेन का प्रारुप

जिला -

अवयव का नाम - Drying cum Preservation Unit/Pack House/HDPE Vermi-bed/Irrigation Facility

क्रमांक	विवरण	
1.	लाभुका का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	Trace net Code	
4.	प्रखण्ड एवं पंचायत	
5.	पता	
6.	मोबाइल नम्बर	
7.	जमीन का विवरण (खाता सं0 एवं प्लॉट सं0 आदि)	
8.	GPS स्थिति (N&E)	
9.	बैंक का नाम	
10.	शाखा का नाम	
11.	IFSC कोड	
12.	खाता सं0	

Andaruy